an>

Title: Need to provide compensation to the farmers whose crops have been damaged due to excess rain and drought in Madhya Pradesh.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : सभापति महोदया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों की बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। सामान्य रूप से बीमा कंपनी ऋणी किसानों की फसलों की बीमा करती है और इस स्थिति में किसानों को पता भी नहीं चलता कि उनकी फसल का बीमा हुआ या नहीं हुआ है। इस से स्थिति यह बन जाती है कि वे अपने फसल के नुकसान के लिए दावा भी नहीं कर सकते और फसल बीमा कंपनी उन्हें फसल बीमा कंपनी फसल बीमा की राशि भी नहीं देती है। इसलिए मेरा आपसे इस बारे में अनुरोध है।

महोदया, मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों से पाले की वज़ह से, ओले की वज़ह से और अतिवर्षा की वज़ह से तमाम रबी और खरीफ़ की फसलें जैसे चना की फसल, मसूर की फसल, सोयाबीन की फसल नष्ट हो गयीं और आज तक बीमा कंपनियों द्वारा उनके बीमा की राशि नहीं दी गयी। इस वर्ष सोयाबीन की फसल, खासकर रीवा और सतना जिले में सोयाबीन की फसल का अंकुरण 50 प्रतिशत से कम हुआ है, लेकिन बीमा कम्पनी द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि बीमा कम्पनी को निर्देशित करें। किसानों की जो बकाया बीमा राशि है, वह अदा करें और इस वर्ष की बीमा राशि का आंकलन करके काम किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति :

श्री पी.पी. चौधरी जी श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।